दिल्ली विकास प्राधिकरण

राज निवास, दिल्ली में 10 जनवरी, 2014 को 11:00 बजे आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त।

इसमें निम्नलिखित उपस्थित रहे:

अध्यक्ष

1. श्री नजीब जंग,
उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

2. श्री डी. दीप्तिविलास

सदस्य

3. श्री अभय सिन्हा,
अभियंता सदस्य

4. श्री मनीष कुमार
वित्त सदस्य (कार्यवाहक),

5. श्री डी. दीप्तिविलासा,
अपर सचिव, एमओयूडी

विशेष आमंत्रितगण और वरिष्ठ अधिकारी

1. श्रीमती नूतन गुहा बिस्वास,
उपराज्यपाल, दिल्ली की प्रधान सचिव
2. श्री एस.एस.यादव
सचिव (यूडी), रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

Scanned with OKEN Scanner

3. श्री जे.बी. क्षीरसागर
   मुख्य योजनाकार, टीसीपीओ
4. श्री एस. कुमारस्वामी
   आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम
5. श्री टी. श्रीनिधि,
   प्रधान आयुक्त (आवास, एलडी और सीडब्ल्यूजी), दि.वि.प्रा.
6. श्री दयानंद कटारिया
   प्रधान आयुक्त (एलएम, पी एंड एस), दि.वि.प्रा.
7. श्रीमती स्वाति शर्मा
   उपराज्यपाल, दिल्ली की अपर सचिव
8. श्री आर.एन. शर्मा
   उपराज्यपाल, दिल्ली के अपर सचिव
9. श्री विश्वेंद्र
   उपराज्यपाल, दिल्ली के निजी सचिव
10. श्री अशोक निगाह
    मुख्य अभियंता(मुख्यालय) दि.वि.प्रा.
11. श्री अनिल कुमार पंडित
    मुख्य अभियंता (दक्षिण जोन), दि.वि.प्रा.
12. श्री संदीप मेहता
    मुख्य अभियंता (विद्युत), दि.वि.प्रा.
13. श्री शमशेर सिंह
    मुख्य नगर नियोजक, एमसीडी
14. श्री आर.के.जैन
    अपर आयुक्त (योजना) एमपी एंड यूई, दि.वि.प्रा.
15. श्रीमती सविता भंडारी
    अपर आयुक्त (एलएस), दि.वि.प्रा.
16. मोहम्मद ए. आबिद

Scanned with OKEN Scanner

अपर सचिव (राजस्व), रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

17. एवीएम (सेवानिवृत्त) वी.के. दयालू
    सलाहकार (एसए एंड जीआर), दि.वि.प्रा.
18. श्रीमती नीमो धर
    सलाहकार (जनसम्पर्क), दि.वि.प्रा.

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/ अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितों और प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

मद संख्या 01/2014:
राज निवास में दिनांक 27.12.2013 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।
एफ.2(2)2013/एमसी/डीडीए

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 27.12.2013 को आयोजित बैठक के परिचालित कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 02/2014:
राज निवास में 19.09.2013 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठकों के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।
एफ.2(3)2013/एमसी/डीडीए

प्राधिकरण की दिनांक 19.9.2013 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट्स को प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया। तथापि, उप-शीर्ष "अन्य मुद्दे", के अंतर्गत, वाक्य "ट्रैकिंग क्यों आवश्यक है" विषय पर एक विस्तृत नोट

Scanned with OKEN Scanner

माननीय उपराज्यपाल के अवलोकनार्थ पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।" इसे हटा लिया जाए चूंकि उपराज्यपाल सचिवालय में ऐसा कोई नोट प्राप्त नहीं हुआ है।

मद संख्या 03/2014:
इंजीनियरिंग विंग में अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन।
एफ.5(287)2013-14/पीसी/डीडीए/पार्ट-I

अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. ने एजेंडे की इस मद पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वित्तीय शक्तियों को मुख्य अभियंताओं को सौंपने की आवश्यकता है जिससे कि प्रत्यायोजन सीपीडब्ल्यूडी नियमों के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि सीपीडब्ल्यूडी में, मुख्य अभियंता को आइटम्स को मंजूरी देने की शक्ति प्राप्त है और सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक के समकक्ष अभियंता सदस्य को इसे सौंपने की आवश्यकता नहीं है। वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की और कहा कि ये शक्तियां केवल मुख्य अभियंताओं के पास होनी चाहिए। उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने कहा कि "अभियंता सदस्य को शक्तियों का प्रयोग जारी रखना चाहिए, जरूरत पड़ने पर कार्यालय को और मजबूत किया जा सकता है"। विस्तृत चर्चा के बाद, एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 04/2014:
अस्थाई सिनेमाघरों को जारी रखने की नीति।
एफ.11(06)74/एमपी/पार्ट-1

पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन किया गया। श्री आर.के.जैन, अपर आयुक्त (योजना) एमपी एंड यूई ने कहा कि अस्थायी सिनेमाघरों को जारी रखने की नीति को प्राधिकरण द्वारा पहले ही अनुमोदित की जा चुका है और डी.डी.एक्ट की धारा 11ए के तहत इस पर कार्रवाई की गई है। अधिसूचित नीति के 13 पैरामीटरों की शर्त पर

Scanned with OKEN Scanner

"भूमि उपयोग में परिवर्तन के निजी मामलों पर एमपीडी- 2021 में अधिसूचित प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी"। इस प्रावधान के अनुसार भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रत्येक प्रस्ताव पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। चूंकि डीडी एक्ट की धारा 11ए के तहत आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करके नीति पहले ही बनाई जा चुकी है, इसलिए निजी मामलों पर कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि भूमि उपयोग में परिवर्तन अंतर्निहित है।

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ने कहा कि सिनेमा घर खोलने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की आवश्यकता है और इसके लिए मुख्य योजना काई भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मुख्य योजना के प्रावधानों का पूर्णत: अनुपालन किया जाना चाहिए।

यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में नियमितीकरण के लिए, जहां भी नियमों के अनुसार आवश्यक हो, भूमि उपयोग के परिवर्तन के साथ पहले से अधिसूचित 13 मानदंडों का अनुपालन करते हुए सभी संदर्भों की जांच की जाए। माननीय उपराज्यपाल/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने निदेश दिए कि डीडी एक्ट की धारा 11ए के अनुसार और मुख्य योजना-2021 के प्रावधानों के अनुरूप 4 महीने की समय सीमा के भीतर यह पूरी प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।

मद संख्या 05/2014:
मुख्य योजना-2021 में वर्धित एफएआर को लागू करने के तरीके।

श्री आर.के. जैन, अपर आयुक्त (योजना) एमपी एंड यूई ने पावर प्वाइंट प्रस्तुति देते हुए एजेंडे की इस मद की व्याख्या की।

एजेंडा मद में निहित प्रस्तावों को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

मद संख्या 06/2014:

दिल्ली वायो-डायवर्सिटी फाउंडेशन सोसाइटी।

पीए/एसी/एलएस/2013/341

अपर आयुक्त (एलएस) ने एजेंडा प्रस्तुत करते हुए और यह अवगत कराया कि इस मुद्दे पर पहले भी चर्चा की गई थी और विचार-विमर्श किया गया था, जिसमें मई, 2013 में इसे ठुकरा दिया गया था। जैव-विविधता फाउंडेशन के गठन की पृष ठभूमि और जैव-विविधता फाउंडेशन सोसाइटी के गठन के बारे में विस् तार से बताया। प्रधान आयुक्त (एलडी) ने बताया कि कानूनी रूप से डीडी एक्ट की धारा 5ए के तहत दि.वि.प्रा. पृथक सोसाइटी का गठन नहीं कर सकता। अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. ने बताया कि वर्तमान में विद्यमान जैव-विविधता फाउंडेशन को गजट अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया था और यह कुशलता से काम कर रहा है। उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने समझाया कि समाज का बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण किया जा सकेगा और बाहर से विशेषज्ञों को हायर किया जा सकता है। यहां तक कि मान्यता प्राप्त संस्थानों से भी फंड लिया जा सकता है। माननीय उपराज्यपाल चाहते हैं कि समाज को अर्थात जैव-विविधता फाउंडेशन बनाने के फायदे और नुकसान से अवगत कराया जाए।

यह निर्णय लिया गया कि पहले इस मामले पर कानूनी रूप से यह जांच की जाए कि क्या डी.डी.एक्ट के तहत सोसायटी बनाई जा सकती है या नहीं। माननीय उपराज्यपाल ने किए गए कार्य का आकलन करने के लिए दो पार्कों का दौरा करने की भी इच्छा व्यक्त की।

मद संख्या 07/2014:

भूमि नीति (मसौदा विनियम और बजट प्रावधान) के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना।

एफ.3(53)2003/एमपी

Scanned with OKEN Scanner

श्री आर.के. जैन, अपर आयुक्त (योजना) एमपी एंड यूई ने एजेंडा मद पर चर्चा की और कहा कि बेहतर भागीदारी और पारदर्शिता के लिए, आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए इस नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सभी विनियमों को दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। लैंड पूलिंग सेल बनाने के लिए बजट और अन्य प्रावधानों को भी समझाया गया और यह भी बताया गया कि जीएनसीटीडी के भूमि और भवन और राजस्व विभाग द्वारा क्रमशः 95 गांवों को दि.वि.प्रा. के विकास क्षेत्र और 88 को शहरी गांव के रूप में घोषित किया गया। गांवों की घोषणा के संबंध में, माननीय उपराज्यपाल द्वारा निदेश दिए गए थे कि दिल्ली सरकार 30 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणी भेज सकती है और इसी बीच, लैंड पूलिंग सेल बनाया जा सकता है। लैंड पूलिंग सेल के बजट को भी मंजूरी दी गई।

मद संख्या 07/2014:
भूमि नीति के संचालन के लिए कार्य कार्यक्रम (मसौदा विनियम और बजट प्रावधान)। एफ.3(53)2003/एमपी

श्री आर.के. जैन, अतिरिक्त. आयुक्त (योजना) एमपी एंड यूई ने एजेंडा आइटम की व्याख्या की और कहा कि बेहतर भागीदारी और पारदर्शिता के लिए नीति के संचालन के संबंध में सभी नियमों को आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए डीडीए की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। भूमि पूलिंग सेल के निर्माण के लिए बजट और अन्य प्रावधानों को भी समझाया गया और जीएनसीटीडी के भूमि और भवन और राजस्व विभाग द्वारा क्रमशः 95 गांवों को डीडीए के विकास क्षेत्र और 88 को शहरी गांव के रूप में घोषित किया गया। गांवों की घोषणा के संबंध में, माननीय उपराज्यपाल द्वारा निर्देशित किया गया था कि दिल्ली सरकार 30 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणी भेज सकती है और इसी बीच, लैंड पूलिंग सेल बनाया जा सकता है। लैंड पूलिंग सेल के बजट को भी मंजूरी दी गई।

Scanned with OKEN Scanner

मद संख्या 08/2014:

डीएमआरसी के मुकुंदपुर- यमुना विहार कॉरिडोर (लाइन-7) के लिए आरएसएस के निर्माण हेतु धौलाकुआं में 0.9 हेक्टेयर भूमि का 'मनोरंजनात्मक': सिटी पार्क, जिला पार्क, सामुदायिक पार्क (रिजर्व फॉरेस्ट) से 'यूटिलिटी' (रिले/रिसीविंग सबस्टेशन) के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन।

एफ.20(13)/2012/एमपी

कार्यसूची मद में शामिल प्रस्तावों को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 09/2014:

50 करोड़ से अधिक की लागत वाली बड़ी परियोजनाओं का विवरण।

एफ.ई.एम.3(7)77/वोलि.VI/2011/पार्ट/

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद में शामिल प्रस्तावों पर गौर किया। इस संबंध में, माननीय उपराज्यपाल/ अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने निम्नलिखित की समीक्षा की :-

i. "महरौली-महिपालपुर रोड आदि पर 209 एचआईजी फ्लैटों और 207 एलआईजी फ्लैटों (अर्थात क्रमशः 10% और 6%) के निर्माण में दि.वि.प्रा. के इंजीनियरिंग विंग का खराब प्रदर्शन।"

और

ii. "प्रणाली में मौजूदा खामियां और पूर्ण सुधार की आवश्यकता पर काम किया जाना"।

मद संख्या 10/2014:

सुविधा कॉरिडोर में आवासीय उपयोग की अनुमति का प्रस्ताव। F.3(103)96/एम पी/पार्ट-IV

Scanned with OKEN Scanner

श्री आर.के. जैन, अपर आयुक्त (योजना) एमपी एंड यूई ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि सुविधा कॉरिडोर में आवासीय घटक के प्रावधान के संबंध में सुनवाई बोर्ड के समक्ष कई अभ्यावेदन (247 संख्या) प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसका असर प्लानिंग जोन 'जे' पर पड़ेगा।

इस मुद्दे पर चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव पर आपत्तियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए एक विस्तृत नोट प्राधिकरण की अगली बैठक में विचार-विमर्श और विचार के लिए रखा जाए।

मद संख्या 11/2014:
सीडब्ल्यूजी विलेज कॉम्प्लेक्स में दि.वि.प्रा. के खाली पड़े घरों में से फ्लैटों का आवंटन।

प्राधिकरण ने सामान्य पूल सरकारी निवास स्थान के रूप में जीएनसीटीडी के उपयोग के लिए 60 सीडब्ल्यूजी फ्लैट आवंटित करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य के लिए प्रधान आयुक्त (आवास) को **अनुबंध-I** में संलग्न फ्लैट/घरों की सूची प्रदान की गई थी।

माननीय उपराज्यपाल ने सुझाव दिया कि दि.वि.प्रा. के मेहमानों और दि.वि.प्रा. में आने वाले प्रतिनिधिमंडलों की सुविधा के लिए सीडब्ल्यूजी विलेज में दो पेन्ट हाउस (श्रेणीं-II आवासों) को सभी आधुनिक सुख-सुविधाओं और अन्य सुविधाओं के साथ डीडीए गेस्ट हाउस में परिवर्तित किया जाए।

<u>अन्य मुद्दे:</u>

1. माननीय उपराज्यपाल ने वसंत कुंज में आवासों की गुणवत्ता के संबंध में रिपोर्टों/शिकायतों का जिक्र करते हुए अपनी चिंता व्यक्त की और यह इच्छा व्यक्त की कि अधिकतम उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए निर्माण

Scanned with OKEN Scanner

की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि इस संबंध में डीडीए की प्रतिष्ठा बचाने की आवश्यकता है। उपराजयपाल की अपर सचिव श्रीमती स्वाति शर्मा और अभियंता सदस्य, डीडीए को डी-6, वसंत कुंज के परिसर का दौरा करने और अगले सप्ताह तक रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया।

2. माननीय उपराज्यपाल ने लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में संपत्तियों के रूपांतरण में शामिल प्रक्रिया और देरी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और इच्छा व्यक्त की कि इसे सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि देरी न हो या समय लंबा न खिचे।

यह नोट किया गया कि लेखा विभाग से देरी की शिकायतें मिली हैं, विभिन्न विभागों के निपटान के लिए समय-सीमा तय करने की आवश्यकता है ताकि पूरी प्रक्रिया समय पर और नागरिक चार्टर के अनुसार पूरी हो सके।

प्रधान आयुक्त (आवास, एलडी और सीडब्ल्यूजी) ने आश्वासन दिया कि प्राथमिकता के आधार पर सिस्टम में सुधार कर लिया जाएगा।

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा ने बताया कि संपत्तियों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने के लिए जनता की सुविधा हेतु जल्द ही दि.वि.प्रा, दिल्ली में 6 आउटरीच सेंटर खोलने जा रहा है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन के उद्देश्य से डीडीए में प्रति सप्ताह निर्धारित दिनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।

माननीय उपराज्यपाल ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशेष अतिथियों और वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

****

Scanned with OKEN Scanner